अध्याय -6

सारंगढ़ रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था (1854 ई. - 1948 ई.)

राजस्व प्रशासन

6.1 भू- राजस्व व्यवस्था :

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार राजस्व प्रशासन होता है। राजस्व से आशय राज्य की आय तथा व्ययसे संबंधित व्यवस्था से है। भारत एक कृषि प्रधान देश है अत्यंत प्राचीन काल से राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से उनकी उपज का एक निश्चित भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। पाणिनी के अष्टाध्यायी में भूमि को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है (1) वह भूमि जो उसे क्षेत्र कहा गयै उसमें विभिन्न फसलें उगाई जाती थी। (2) कृषि अयोग्य भूमि को ऊसर कहा गया है , जुती हुई भूमि को शील्य[1] शब्द से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे दो प्रकार की भूमि का संकेत मिलता है। प्रथम राजकीय भूमि जिस पर राजा स्वंय कृषि कार्य करवाता था और ऐसे कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त करता था ऐसे अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। इस भूमि से राजा को आय तो होती थी किन्तु भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था।[2] द्वितीय व्यक्तिगत स्वामित्व की कमी - ऐसी भूमि पर राजा कर या भू- राजस्व के रूप में उपज का छठा भाग वसूल सकता था।[3] इस प्रकार प्राचीन काल से ही भू- राजस्व वसूले जाने की पद्धति भारत में विद्यमान रही है। समय के प्रवाह के साथ ही राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भू- राजम्व के अतिरिक्त आबकारी तथा वन भी राजस्व प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गये। आबकारी तथा वन राजम्व का विकास भारत में ब्रिटिश शासनकाल की देन है जबकि भू राजस्व प्रणाली बहुत पूर्व से ही यहां विद्यमान रही है।

6.1.1 ब्रिटिश पूर्व भू-राजस्व व्यवस्था :

छत्तीसगढ में मराठा आगमन के पूर्व की भू- राजस्व व्यवस्था का इतिहास प्रामाणिक रूप से अब तक प्रस्तुत नहीं हो पाया है। कलचुरि राजा कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका से रतनपुर राज्य के जिसमें रायपुर भी शामिल था 48 गढ का उल्लेख है जिससे 61 लाख रुपये राजस्व, प्राप्त होता था जो कि एक सुखद समृद्ध युग का द्योतक है।[4]

हैहयवंशीयों ने भू-राजस्व व्यवस्था के लिये किन नियमों का अवलंबन किया था स्पष्टया अज्ञात है। एक धारणा के अनुसार राज्य तालुका में विभक्त था कृषक भूमि कर तालुकेदार को अदा करते थे और वह एक निश्चित राशि राज्य को प्रतिवर्ष देता था।[5]

राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश प्रणाली प्रारंभ होने के पूर्व सारंगढ़ रियासत में भू-राजस्व का निर्धारण और प्रबंधन गौंटिया पद्धति से प्रभावित था,[6] जो कि मराठा शासन की देन थी। सन 1858 तक रियासत के शासक अपने गौंटियाओं के साथ वार्षिक बंदोबस्त किया करते थे बाद में यह अवधि बढ़ाकर तीन से पांच वर्ष कर दी गयी।[7] अतीत काल से सारंगढ़ के ग्राम कृषकों द्वारा भूमि वितरण तथा लगान के निमित्त अपने बीच एक ही श्रेणी के भू खण्डों में बांट लिये गये थे जिन्हें खार कहा जाता था। प्रत्येक कृषक अपने जोत के आकारे क अनुपात में प्रत्येक श्रेणी की भूमि यथासंभव मात्रा में धारण करता था।[8] यह वही पद्धति थी जो लखबटा कही जाती थी और छत्तीसगढ के उच्च भाग में प्रचलित थी। लखबटा के अंतर्गत भूमि का सावधि पुर्नवितरण किया जाता था ताकि नदी क्रिया या उर्वरता में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होन वाली असमानताओं को दूर किया जा सके। यह पुरानी पद्धति पहले लुप्त हो गई थी और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कैसे और कब लुप्त हुई। यह संभावना है कि मराठा शासन के

पतन के पश्चात नियमित बंदोबस्तों के फलस्वरुप यह पद्धति विलुप्त हो गई।[9] रैय्यतों के निर्धारण तथा गौंटियाओं द्वारा जमा के भुगतान करने के लिए तंदखार नियुक्त किये जाते थे और जिस उपकर द्वारा उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था वह तंदखारी कहलाता था।[10]

रैयती लगान ग्राम का राजस्व होता था। किसी समय में गौंटिया के द्वारा लगान निश्चित किया जाता था तथा शासन को उतना भुगतान करता था जितने भुगतान करने का उसने करार किया हो, किन्तु बाद के वर्षों में जब रैयती लगान निश्चित कर दिये गये तो गौंटिया अपने पारिश्रमिक के रूप में भोगरा भूमि धारण करता था। गौंटिया गांव का प्रबंध करने तथा रियासत के लिए लगान वसूली करने संबंधी अपने सेवाओं के बदले वह अपनी भोगरा भूमि का उपयोग करता था।[11] जब गौंटिया की भोंगरा भूमि अपर्याप्त होती थी तब उसे रैयती लगानों से रकम प्राप्त होती थी। गौंटिया अपना पट्टा प्रारंभ होने के समय अपनी भोगरा के लिए एक मुश्त भुगतान करता था जो कि नजराना कहलाता था जिसका निर्धारण प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक निश्चित अवधि जो कि 3 या 5 वर्ष होती थी के लिए किया जाता था।[12] जब निश्चित भोगरा या निश्चित राजस्व की पद्धति आरंभ हुई तो गौंटिया को ऐसे व्यक्ति के बजाये जिसे कुछ वार्षिक भुगतान के बदले रैय्यतों का बंदोबस्त करने तथा ग्राम प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार दिया गया था राजस्व संग्रहक माना जाने लगा।[13]

रैयतों की लगान में वृद्धि तंदखारों की सिफारिश के आधार पर की जाती थी जिनका प्रमुख कार्य गांवों में कृषि के विकास की देखरेख करना होता था।[14] किसी विशिष्ट ग्राम में लगान वृद्धि राजा द्वारा पड़ोसी गौंटियाओं के एक पंचायत के परामर्श से की जाती थी। लगान वृद्धि ग्राम की संपूर्ण भूमि के लिये एक मुश्त निश्चित कर दी जाती थी। कृषक खूंटियों या हिस्सों जिसमें जोत विभाजित थी की पद्धति के जरिये अपने बीच नवीन निर्धारणों को बिना किसी कठिनाई के वितरित कर लिया करते थे।[15]

राजस्व के पर्याप्त भाग की भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था जैसे तेल, कपास, तिल, दाल, उड़द, गुड़, चना, गेहूं और चांवल में वसूल होता था तथा वास्तविक राशि राजा की आवश्यकताओं द्वारा नियमित होती थी। भू- राजस्व का नकद भुगतान कौड़ियों में होता था, कौड़ियों का प्रमाण एक रुपये का बारह दोगानी का था। सन 1869 में राजा संग्राम सिंह की ओर से यह आज्ञा हुई कि मालकाली (राजस्व) का जमा भविष्य में नकद रुपये के रूप में पटायी जाये।[16]

राजा द्वारा गौंटिया को पट्टा दिये जाने की पद्धति कुछ इस प्रकार थी। गौंटिया इस अवसर पर राजा के प्रति अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में कुछ धन भेंट करता था जिसे पान टीका कहा जाता था। राजा इसके बदले में उसे कपडे के टुकडे में लिपटा हुआ पान का पत्ता भेंट किया करता था। दशहरा के अवसर पर प्रत्येक गांव राजा को दशहरा टीका दिया करता था किन्तु देवोत्तर या ब्रह्मत्तर गांवों से यह टीका नहीं लिया जाता था। दशहरा टीका के बदले राजा प्रत्येक गौंटिया को 8 आने मूल्य का कपड़े का टुकड़ा भेंट करता था जिसे दशहरा लाट कहा जाता था।[17]

सारगढ रियासत में भू- राजस्व के अतिरिक्त अन्य उपकर भी लिये जाते थे उदाहरणार्थ बारकी या सूती वस्त्र जिसका वार्षिक भुगतान प्रत्येक गांव के द्वारा राजा को किया जाता था जिसके बदले में राजा जमा में से 12 आने की छूट देता था। लेखा हिसाब किताब लिखने वालों के लिये एक लघु शुल्क था। साल टीका या सलामी जो राजा को

किसी गांव में प्रवास के दौरान दी जाती थी। राज महल की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला उपकर खार कहलाता था। रानी के लिए प्रतिगांव 8 आने की दर से रानी टीका लिया जाता था। रियासत मुख्यालय में लेखा जोखा लिखने के लिए बहिदारी कर राजगुरू के लिए गुरू टीका तथा राजा के दरबानों (द्वारपालों) के लिए प्रत्येक गांव से ढ़ाई प्रतिशत की दर से लिया जाने वाला उपकर दरबानी टीका के नाम से लिया जाता था।[18]

इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से यह ज्ञात होता है कि सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश नियंत्रण पूर्व भू राजस्व प्रणाली विद्यमान थी तथा वह गौंटिया पद्धति के रूप में विख्यात रही। इस पद्धति अंतर्गत गौंटिया अपने गांव की कृषि भूमि के राजस्व का निर्धारण करता था। सामान्यतः गांव की कृषि भूमि जोत या खार में विभाजित किया जाता था जो कृषक के हल के अनुपात में होती थी। इस विभाजित इकाई पर भू - राजस्व का निर्धारण गौंटिया के द्वारा किया जाता था। सारंगढ़ रियासत में यद्यपि भू राजस्व धिारण की कोई मान्य पद्धति नहीं थी तथापि वह कृषि भूमि के सापेक्ष मूल्य अथवा खण्डों के अनुपात में निर्धारित की जाती थी। गौंटियाओं से बंदोबस्त 3-5 वर्षों तक के लिए किया जाता था। गौंटिया द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था। रियासत में रैयती भूमि का वितरण तथा पुर्नवितरण कृषकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। गौंटिया को यह अधिकार नहीं होता था कि वह स्वयं अपने गांव के भू-राजस्व में वृद्धि कर सके इसके लिये पड़ोसी गांवों के गौंटियाओं की पंचायत का सहयोग आवश्यक होता था। भू- राजस्व के अतिरिक्त सारंगढ़ रियासत के शासक प्रजा से अनेक उपकर भी वसूलते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गौंटिया पद्धति पूर्णतया स्थानीय परंपराओं पर आधारित थी। मराठों ने इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया।

6.1.2 भू-राजस्व की ब्रिटिश प्रणाली -

जैसा कि पूर्व में यह उल्लेख किया जा चुका है कि सारंगढ़ रियासत का हस्तांतरण मराठों द्वारा अंग्रेजों को सन 1818 में कर दिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश नीति इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने तक सीमित रही। संक्रमणकालीन कार्यों की समाप्ति पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारंगढ़ रियासत की प्रशासन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

सन् 1818 में ब्रिटिश शासन की ओर से जागीरदार को हुकुम दिया गया मालगुजारी वसूल करने के लिए इस संबंध में यह ज्ञात होता है " जागीरदार को हुकुम दिये मालगुजारी लेने के रफसेज रसेल मेजर साहेब के जामीर दारान जमींदारान गौंटियान वो रईतान रहने वाले सारंगढ़ परगने के मालूम करना राजे भीखमसाय को अपने अपने जगा के मालगुजारी दिया करोंगे वो हुकुम मों हाजर रहोगे तारीख 18 माह सितंबर सन् 1818 अंगरेजी मोताबीक ता. 25 माह भादो सन् 1225 फैसली सपत 1876 के साल।"[19] इस प्रकार राजा भीखमसाय को मालगुजारी अदा करने का आदेश ब्रिटिश शासन की ओर से दिया गया।

सन् 1819 सन् 1821 एवं सन् 1827 में सारंगढ़ के शासक से इकरारनामें ब्रिटिश शासन के द्वारा लिया गया तथा पाच वर्षों के लिए बंदोबस्त किया गया जिसके अंतर्गत रियासत के शासक ने कंपनी को निर्धारित वार्षिक मालगुजारी (टकौली) की रकम अदा करने का वचन दिया एवं सन् 1867 में दी गई नई सनद के माध्यम से मालगुजारी की रकम का पुनरीक्षण किया गया।[20]

यह उल्लेखनीय है कि वार्षिक मालगुजारी वसूल करने के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने रियासत के आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। इससे आशय है कि रियासत के शासक राजस्व प्रशासन में लगभग स्वतंत्र थे तथा उन्होंने राजस्व निर्धारण तथा वसूली में पूर्व प्रचलित व्यवस्था को बरकरार रखे हुए थे। [21]

राजा संग्राम सिंह के समय सन् 1865 में जो मालगुजारी तय की गयी थी वह कुछ इस प्रकार थी : "5 रुपीया के खूंटी मों खण्डी 25 धान पर के जमीन वो तीन टीकुरा, एक उरीदहा, एक मुंगहा, एक तिलहा यही बमूजे बांधे गये दो सेरिआ काठा मो. गौटिया लोग के सावन सुदी 3 के समत 1922 के साल।" [22] सन् 1869 ई. तक राजस्व की वसूली कौडियों में होती थी राजा संग्राम सिंह की आज्ञा से सर्वप्रथम लगान की वसूली नकद रुपये के रूप में की जाने लगी - "सारंगढ़ परगने और सरिया प्रगने मों आगे बारा दोगानी रहा रुपैया कौड़ी के माल गुजारी रहे उस मालगुजारी को रुपैया कौड़ी के दर से बंधा बांधे एक बंधा जिस गांव मों जेता मालगुजारी कौड़ी के थे वोत ही बंधा मालगुजारी हुआ।" [23] इस प्रकार लगान की वसूली सन् 1869 से रुपये के रूप में होने लगी।

सन् 1869 में सारंगढ़ रियासत में बंदोबस्त किया गया जिसमें गौंटियाओं द्वारा राजस्व जमा में सैकड़ा पीछे पचास के हिसाब से चढ़ाव किया गया - "सरिया परगने मो पंचाहिती मिलाये गये वो आधे मंगनी मिलाये गये वौर सारंगढ़ प्रगने के रकम वो पंचाहिती वो आधे मंगनी मालगुजारी मों मिलाये गये वो दोनों प्रगने के बकरा वो टड़कारी वो बरकी वो लेखा टीका वो खर वो दसरहा के बकरा टीका वो म आठे बरार येता मालगुजारी मों सेवा हीरखागेआ उसमें नहीं मिलाये गये मालगुजारी से बाहीर देवेंगे ऐसा बांधे गये माध सुदी 2 बुधवार के समत 1926 के साल हींदी।" [24] इस प्रकार उपरोक्त बंदोबस्त में कुल जमा भूराजस्व के आधे की मांग रियासत की ओर से की गई साथ ही अन्य उपकर पूर्ववत मांगे गये। इसका परिणाम यह हुआ कि गौंटियाओं में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया जिसके चलते राजा साहिब ने सात वर्ष के लिए मालगुजारी जमा सैकड़ा पीछे 20 के हिसाब से कर दिया। [25]

इस प्रकार यह पता चलता है कि सारंगढ़ रियासत के शासक राजस्व निर्धारण तथा वसूली अर्थात् राजस्व प्रशासन के मामले में स्वतंत्र थे, इस मामले पर ब्रिटिश शासन की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया जाता रहा, तथा पूर्व प्रचलित व्यवस्था रियासत में बरकरार रही। तथापि कालांतर में धीरे- धीरे ब्रिटिश सरकार रियासत के राजस्व प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी भू- अभिलेख तथा बंदोबस्त विभाग स्थापित किये गये अधीक्षक भू- अभिलेख, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी आदि अधिकारियों एवं कर्मचारी नियुक्त किये गये। भूमि संबंधी अभिलेख तैयार किये गये तथा नियमानुसार समय समय पर बंदोबस्त किये जाने लगे। इस हेतु ब्रिटिश भारत से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी रियासत में भेजा गया। [26]

सारंगढ़ रियासत की राजस्व प्रशासन में सर्वप्रथम परिवर्तन उस समय हुआ जब सन् 1878 में राजा भवानी प्रताप सिंह की अल्पवयस्कता के चलते कोर्ट ऑफ वार्डस के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया। [27] ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने के साथ ही रियासत में आधुनिक मापदण्डों के अनुरूप भू- राजस्व व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। सन् 1885 में जब यह रियासत ब्रिटिश शासन के प्रबंधकाधीन थी, रियासत के तत्कालीन अधीक्षक यादोराव को एक संक्षिप्त बंदोबस्त करने का आदेश दिया गया। यादोराव ने इस हेतु सर्वप्रथम समस्त गौंटियाओं के सहयोग से गांवों की सीमा निर्धारण का कार्य किया। सीमा निर्धारण के पश्चात ही राज्य के वन पहली बार रियासती संरक्षण में लिये गये। गांवों के लिये मालगुजारी वनों के रूप में छोडा गया वनों का हिस्सा बहुत कम था। [28]

सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश शासनाधीन हुए इस प्रथम बंदोबस्त की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि लगान के निर्धारण के लिए ग्रामों को पांच वर्गों में विभाजित किया गया था जिनमें से प्रत्येक वर्ग उत्कृष्टता तथा उर्वरता का क्रम दर्शाता था। इस वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव के संबंध में उसकी स्थिति मृदाओं, फसलों, विद्यमान लगानों तथा पड़ोसी ग्रामों में प्रचलित लगानों की दृष्टि से विचार किया गया। भूमियां स्थूल रूप से स्थिति तथा मृदा के अनुसार वर्गीकृत की गयी फिर ग्रामों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रति एकड़ औसत लगान दर निश्चित की गयी। प्रत्येक वर्ग के ग्रामों का खण्डों में समूहीकरण नहीं किया गया किन्तु वे रियासत भर में बिखरे हुए थे। लगान निर्धारण दर के अनुसार किया गया तथा ग्राम के कागजात तैयार किये गये जिनमें भूमि का क्षेत्र किस्म तथा प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला लगान दर्शाया गया था। गौंटिया का नजराना वार्षिक भुगतानों में परिवर्तित कर दिया गया था। [29]

गौंटिया की भोगरा भूमि संबंधी व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। उस भोगरा भूमि के लिए जो कृषिगत क्षेत्र के पंचम अंश से अधिक नहीं होती थी गौंटिया रैयती दर के चर्तुदांस के हिसाब से लगान का भुगतान करता था। कृषिगत क्षेत्र के आधे भाग से कम के लिए वह रैयती दर के आधे के हिसाब से भुगतान करता था और इससे अधिक क्षेत्रों के लिये पूर्ण रैय्यती दर से लगान का भुगतान करता था। भोगरा का परिसीमन आवश्यक समझा गया क्योंकि भोंगरा के काश्तकार व्यवहारतः इच्छाधीन कृषक थे। काश्तकारों को उप पट्टे पर दी गयी भोगरा भूमि सारंगढ़ रियासत में छिराल कही जाती थी। सन 1885 के बंदोबस्त में भूमि का मापन स्थूल रूप से 6 फूट लम्बी एक मानक शलाका से किया गया था इस प्रकार सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त बहुत कुछ उसी परिपाटी पर किया गया जो उड़ीसा में प्रचलित थी। बंदोबस्त के समय निश्चित कुल उपकर रुपये में तीन आने थे और स्कूल, चिकित्सालय तथा पटवारी, भण्डार या वस्तुरूप में भुगतान के प्रयोजन के लिए उगाहे जाते थे वे प्रस्तावित कुल जमा में शामिल थे और इस प्रकार नाम मात्र के उपकर थे। माफीदारों को भण्डार के भुगतान से मुक्त रखा गया था। [30]

सारंगढ़ रियासत में दो छोटी जमींदारियां क्रमशः डोंगरपाली (19 गांव) तथा करनपाली (13 गांव) थी सन 1891 में इन जमींदारियों में भी बंदोबस्त कर लगान तथा टकौली की राशि का पुर्ननिर्धारण किया गया तथा चीफ कमिश्नर से इस बाबत स्वीकृति मिलने पश्चात गौंटियाओं तथा काश्तकारों को सूचना दी गयी तथा पर्चे वितरित किये गये। [31]

इस प्रकार सारंगढ़ रियासत में प्रथम बार सन 1885 में ब्रिटिश पद्धति का भू राजस्व व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। यह बंदोबस्त अनेक विशिष्टताओं से परिपूर्ण थी। कृषि भूमि की पैमाइश गांवों तथा कृषि भूमि का उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण औसत लगान दर का निर्धारण गौंटिया की भोगरा भूमि को बंदोबस्त के अधीन शामिल करना आदि तत्व समाहित थे। इतना ही नहीं कृषकों को पट्टा या प्रमाण पत्र देकर कृषि भूमि पर उनके स्वामित्व को स्वीकार किया गया। पूर्व प्रचलित विभिन्न उपकरों को समाप्त कर केवल स्कूल चिकित्सालय तथा भण्डार के लिए उपकर निर्धारित किये गये। जमींदारियों को भी पहली बार बंदोबस्त के अधीन लाया गया।

सारंगढ़ रियासत की एक विशेषता यहां के गौंटियाओं की शक्तिशाली स्थिति थी। वे बहुत बुद्धिमान वर्ग के थे तथा अपनी भूमि के प्रति समर्पित थे। गांवों की तत्कालीन उन्नत स्थिति उनके परिश्रम और समर्पण का ही प्रतिफल थी। गौंटिया प्रमुख चार जातियों क्रमशः अगरिया (163) कोलता (49) तेली (42), एवं माली (30) में से थे। माफीदार जब अपनी भूमि किसी काश्तकार को कृषि करने के लिये देता था तो उसे शिकमी कहते थे। इसी तरह

जमींदारियों में जमींदार सर्वोच्च स्वामी और गौंटिया अधीनस्थ होते थे। इन सर्वोच्च और अधीनस्थ स्वामीयों को अपने काश्तकारों से बेगार लेने का अधिकार था। [32]

इस बंदोबस्त की मियाद 10 वर्ष थी किन्तु सन् 1897 और 1899 के दुर्भिक्ष के कारण पुर्ननिर्धारण सन्1904 तक स्थगित कर दिया गया। [33]

वर्ष 1894- 96 में एक बंदोबस्त जो नियमित भू कर सर्वेक्षण पर आधारित था पूर्ण किया गया। इस हेतु मध्य प्रांत के सांकरा सर्किल में कार्यरत राजस्व निरीक्षक बिट्ठल राव को प्रतिनियुक्ति पर सारंगढ़ रियासत में अधीक्षक भू- अभिलेख के पद पर नियुक्त किया गया। [34] इस बंदोबस्त के लिए भूमि का वास्तविक मूल्यांकन मध्य प्रांत की मृदा इकाई पद्धति के अनुसार विस्तृत रूप से किया गया। नवीन पद्धति की विशेषता यह थी कि वह किसी काश्तकार का लगान निश्चित करने में अधिक विस्तृत पद्धति थी। प्रत्येक गांव के संबंध में पृथक रूप से विचार किया गया तथा उसकी दर उसकी स्वयं की परिस्थिति के आधार पर निश्चित की गई न कि उस समूह का जिसका वह एक भाग था के अंतर्गत आने वाले अन्य गांव की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में। दरें ग्राम की दरें थी, न कि समूह की दरें। गौंटिया की भोगरा भूमि का निर्धारण उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से रैयती भूमि का निर्धारण किया गया था और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में ग्राम आस्तियों को 20 से 30 प्रतिशत तक दिया जाना प्रस्तावित था। [35]

सन् 1885 के बंदोबस्त में काश्तकारी अधिकार में धारित क्षेत्र 80,959 एकड़ था सन 1904 के बंदोबस्त के समय वह 96,180 एकड़ था। सन 1888 के लगान वसूली 41,030 रू. थी और सन 1904 में 46,207 रू. थी इस प्रकार लगान में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 1888 में भोगरा क्षेत्र 42,460 एकड़ था किन्तु सन 1904 तक गौंटिया रैयती भूमि के रूप में 8,288 एकड़ के अतिरिक्त भोगरा के रूप में 51,292 एकड़ भूमि धारण कर रहे थे। भू राजस्व 48,610 रू. से बढ़ाकर 59,587 रू. कर दिया गया। जिससे कर भार भूमि के प्रत्येक एकड़ पर लगभग 5 आने हो गया। लगभग समस्त गौंटियाओं को संरक्षित हैसियत प्रदान की गई जो सरसरी बेदखली के विरूद्ध सुरक्षा थी और उसका काफी महत्व था। माफी गांवों में माफीदारों को उत्कृष्ट पट्टाधारी माना गया । यदि माफीदार गांव को किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर देता था तो दूसरी व्यक्ति शिकमी गौंटिया कहलाता था। [36]

यह उल्लेखनीय है कि कृषकों से निर्धारित भू राजस्व की वसूली का कार्य सामान्यतः गौंटियाओं के द्वारा किया जाता था इसी प्रकार डोंगरपाली और करनपाली के जमींदार भी भू राजस्व का संग्रहण करते थे तथा इसका भुगतान रियासत के कोषागार में करते थे। वे बंदोबस्त में की गई मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते थे . सारंगढ़ रियासत में अनेक माफी ग्राम और भूखण्ड थे। इसके अलावा 26 ग्राम और 36 भूखण्ड पुश्त दर पुश्त के लिये दिये गये थे। 22 ग्राम और 21 भूखण्ड जीवन भर के लिये दिये गये थे तथा 3 ग्राम और 26 भूखण्ड सशर्त अनुदानों पर दिये गये थे। पिछले बंदोबस्त में राजस्व में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई थी। [37]

सारंगढ़ रियासत में भूमि पर अधिकार के संबंध में कई रोचक तरीके प्रचलित थे उदाहरणार्थ बक्खर प्रथा, अधिया बांटा, लखबांटा आदि। बक्खर प्रथा के अंतर्गत काश्तकार को अपने गौंटिया से 6 महीने के लिये एक बैल क्रय स्वरूप प्राप्त होता था, जिसके एवज में वह गौंटिया को 8 खण्डी अनाज व 3 रुपये नकद अदा करता था। अधिया बांटा के अंतर्गत काश्तकार लगान का भुगतान करता था और पट्टेदार को आधे बीज उपलब्ध कराता था तथा उपज को दोनों के मध्य बराबरी से बंटवारा किया जाता था। लखबांटा पद्धति के अंतर्गत गौंटिया तथा काश्तकार के मध्य निश्चित अवधि में भूमि का पुर्नवितरण किया जाता था। [38]

सन 1904 के बंदोबस्त में लगान दर 7.69 से बढ़कर 8.11 हो गई थी तथापि रैयत आसानी से इसका भुगतान कर सकती थी। पुर्ननिर्धारित बंदोबस्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत रैयत की ओर से नहीं आयी। सन् 1905 में 5,620 रु. के तकाबी ऋण वितरित किये गये।[39] सन 1908 तथा 1909 में पुनः क्रमशः 2111 रुपये तथा 3000 रुपये के तकाबी ऋण वितरित किये गये थ अतएव 1910 तक कृषि योग्य भूमि का विस्तार 13,744 एकड़ के स्थान पर 43,033 एकड़ हो गया था। सन 1913 में सरिया परगने में बंदोबस्त संपादित हुआ। जिससे राजस्व जमा 77 प्रतिशत से बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया।[40] सन 1913 में सारंगढ़ परगने में प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा था जो 1924 में समाप्त हुआ। सारंगढ़ परगने में राजस्व की वृद्धि किये जाने से कुल राजस्व की मांग में वृद्धि हुई।[41]

इन सबसे स्पष्ट होता है कि सन 1904 का बंदोबस्त सन 1885 के बंदोबस्त की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और स्पष्ट था। इस बंदोबस्त में कृषकों के अधिकार सुरक्षित किये गये तथा रियासत की ओर से उन्हें ऋण देकर कृषि भूमि का विकास एवं विस्तार किया गया फलस्वरुप राजस्व की मांग में वृद्धि होती रही। गौटियाओं के हित संरक्षित कर उनके परंपरागत अधिकारों को मान्यता दी गई इनके अतिरिक्त डोंगरपाली एवं करनपाली जमींदारियों में भू राजस्व का पुर्ननिर्धारण किया गया।

सारंगढ़ रियासत की कुल कृषि योग्य भूमि तथा रियासत की ओर से कृषकों को वितरित तकाबी ऋणों को उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है।

सारंगढ़ रियासत : कृषि क्षेत्र

सन्	कुल कृषि क्षेत्र (एकड़ में)
1907	51,990
1909	1,37,440
1910	1,43,033
1945-46	2,18267
संदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट	

सारंगढ़ रियासत : कृषकों को तकाबी ऋणों का वितरण

सन्	वितरित ऋण (रु. में)
1905	5,620
1908	2,111
1909	3,000
1945-46	10,000
संदर्भ . एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट	

सन् 1904 के बंदोबस्त की समय सीमा 10 वर्ष समाप्त होने के उपरांत तीसरा बंदोबस्त सन् 1914-15 में हुआ। इस बंदोबस्त के चलते कुल राजस्व प्राप्ति जो पूर्व में 59587 रु. थी वह बढ़कर 84756 रु. हो गई। इस बंदोबस्त की मियाद भी 10 वर्ष रखी गयी। [42]

सारंगढ़ रियासत का अगला बंदोबस्त सन् 1924 में हुआ जिसमें राजा द्वारा भू- राजस्व में इस आधार पर वृद्धि की गई थी, कि उसकी बीमारी पर रियासत का बहुत धन व्यय हो गया था और विस्तृत पद्धति का कोई बंदोबस्त करना वांछनीय नहीं था। इस बंदोबस्त से व्यवावहारिक दृष्टि से क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई। औसत लगान 12.23 आना प्रति एकड़ कर दिया गया। बंदोबस्त की अवधि 10 वर्ष निश्चित की गई किन्तु तत्पश्चात कोई पुनरीक्षित बंदोबस्त नहीं किया गया। [43]

रियासत का यह पहला नियमित सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त था। खेतों का भू-सर्वेक्षण जरीब से माप कर किया गया , जबकि इसके पूर्व बंदोबस्तों में माप बांस के डण्डों (शलाका) से माप कर किया गया था, जिससे बीज की मात्रा के आधार पर लगाये अनुमान लाभदायक नहीं हुये।भू-राजस्व निर्धारण के विगत इतिहास को दृष्टिगत रखते हुये समानदर पद्धति अपनायी गई क्योंकि स्थानीय जनता केवल सामान दर पद्धति से परिचित थी, यह पद्धति यद्यपि कुछ दृष्टियों से दोषपूर्ण थी।भूमियों का वर्गीकरण अधिकांशत: सतहों के आधार पर किया गया था न कि मृदाओं के अनुसार समान दरों को कड़ाई से नहीं अपनाया जाता था, किन्तु उन्हें अनुमानित लगान समझा जाता था। किसी ग्राम का राजस्व निर्धारण करते समय बंदोबस्त अधिकारी पहले इस बात का निर्णय करता था, कि उसमें कितनी वृद्धि की जाये जिसे यह युक्तियुक्त रुप में वहन कर सकेगा और तब यह अनुमानित लगान की सीमा में रहते हुये जोतों पर भू-राजस्व का विभाजन कर दिया जाता था। [44]

जमींदारियों का बंदोबस्त रियासत द्वारा किया गया तथा दोनों जमींदारियों के कुल राजस्व का 42 प्रतिशत टकोली निश्चित की गई। रियासत का वाजिब -उल- अर्ज जमींदारों पर भी लागू किया गया। जमींदारी ग्रामों के गौंटिया की नियुक्ति रियासत द्वारा की गई और इसके लिये जमींदारों से परामर्श नहीं किया गया। जमींदारों का खनिजों पर कोई अधिकार नहीं था। पूरे ग्रामों में केवल दो अनुदान थे। ऐसे भागीदारों को भी जो संपूर्ण ग्राम धारण करते थे गौंटिया कहा जाता थास। अनुदान-ग्रहीता उपकरों का भुगतान किया करते थे। सेवा अनुदानों में एक अनुदान मिट्टी के बर्तनों की पूर्ति के लिये भी था, आठ खास ग्राम थे, जो शासक द्वारा धारित थे। [45]

सन् 1924 का बंदोबस्त 1934 में पुनरीक्षित किया जाना था, किन्तु सामान्य आर्थिक मंदी के कारण तथा कृषि उत्पादन में आयी गिरावट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया [46]

सारंगढ रियासत की लगान दर पड़ोसी ब्रिटिश जिलों की तुलना में कम थी। सन् 1 939 में महानदी में बाढ़ आ जाने से कुछ गाव प्रभावित हुये अतः तत्काल राहत कार्य आरंभ किये गये एवं प्रभावित क्षेत्र का लगान 3000/ - रूपये माफ कर दिया गया। [47] ऋण ग्रस्त कृषकों की सुरक्षा के लिये रियासत ने मध्यप्रांत और बरार के क्रमश: सी.पी.मनीलेडर्स एक्ट 1934, सी.पी. प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट 1937 तथा सी.पी. रिडक्शन इन्ट्रेस्ट एक्ट लागू किये थे, जिससे कृषक लाभान्वित हुये। [48]

इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं, कि सारंगढ रियासत में सन् 1924 का बंदोबस्त अंतिम बंदोबस्त था, जो बिना किसी बड़े परिवर्तन के रियासत के बिलनीकरण तक प्रभावशील रहा। इस बंदोबस्त में यद्यपि भू-राजस्व की मांग में सामान्य वृद्धि की गई थी, जो कि कृषकों के लिये अधिक नहीं थी। तथापि आर्थिक मंदी तथा बाढ़ के प्रकोप

से जब कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई तो कृषकों की सुरक्षा हेतु तत्कालीन मध्यप्रांत में प्रचलित विविध कानूनी उपबंधों को रियासत में लागू किया गया। भू-राजस्व बंदोबस्त के पूर्व रियासत की कृषि भूमि का सर्वेक्षण तथा माप की जाती थी तथा अभिलेख तैयार किये गये थे। सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश प्रणाली के सदृश भू-अभिलेख अधिकारी, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी आदि अधिकारी एवं कर्मचारी बंदोबस्त कार्य का संपादन करते थे।

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से सारंगढ़ रियासत सारंगढ़ तथा सरिया दो परगनों में बंटा हुआ था, सारंगढ़ परगने में 268 तथा सरिया परगने में कुल 239 गांव थे। प्रत्येक परगने में 10 पटवारी सर्किल थे, जिनके नियंत्रण हेतु एक-एक राजस्व निरीक्षक परगना मुख्यालय में पदस्थ थे। नवंबर 1941 से अधीक्षक भू-अभिलेख को नजूल भूमि का प्रभारी नियुक्त किया गया था। नायब दीवान उप पंजीयक का कार्य संभालता था।[49]

राजस्व प्रशासन रियासत के वाजिब उल अर्ज पर आधारित था। सन् 1945 में रियासत के राजस्व विभाग में कुल 28 कर्मचारी पदस्थ थे जो राजस्व विभाग के प्रभारी ठाकुर लक्ष्मण सिंह अधीक्षक भू-अभिलेख के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करते थे। सन् 1 945 के प्रारंभ में कृषकों को बीज एवं बैल खरीदने के लिये 10,000/- रु. के तकावी ऋण वितरित किये गये, जिसे वर्ष के अंत तक वसूल कर लिया गया। इस समय रियासत में कुल 2,18,267 एकड़ भूमि में कृषि कार्य किया जाता था।[50]

सारंगढ़ रियासत में सन् 1900 से 1945-46 की अवधि में भू-राजस्व की मांग तथा वसूली को उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है -

सारंगढ़ रियासत : भू-राजस्व

सन्	मांग (रू. में)	कुल प्राप्ति	अवशेष (रू. में)
★1900	-	32973	-
★1901	-	41257	-
★1902	-	41646	-
1903	40613	40613	-
★1904	-	49859	-
1905	-	-	-
1906	50675	50675	-
1907	51990	51990	-
1908	53476	53476	-
1909	-	-	-
1910	53466	53466	-

1911	53064	53064	-
1912	52968	52968	-
1913	52970	52970	-
1914	59587	59587	-
1915	84756	84756	-
1916	96841	96841	-
1917	91095	91095	-
1918	99131	99131	-
1919	102076	102076	-
1920	102076	102076	-
★1921	-	96225	-
1922	84390	84228	162
1924	96868	96868	-
1925	108701	180701	-
1927	109149	109149	-
1928	109049	109049	-
1930	109649	109649	-
1934	99293	98284	1009
1942	99525	99525	-
1944-45	103072	102312	760
1945-46	112958	97454	15504
संदर्भ - एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ★ रायगढ़ जिला गजेटियर, 1979 पृ.349			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पूर्व कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि से पता चलता हैं कि 13 मई 1863 को सारंगढ़ रियासत की भू-राजस्व की कुल प्राप्ति 7917/- रूपये थी।[51] वह 21 अगस्त 1867 तक बढ़कर 14683 - रूपये हो गई थी।[52] सन् 1888 में मालगुजारी जमा की राशि 41030/- रूपये थी।[53]

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सन 1900 में 1945-46 की अवधि में विभिन्न वर्षों में भू-राजस्व की मांग में वृद्धि होती रही है, सम्भवत इस वृद्धि का प्रमुख [illegible]

वर्ष की बकाया राशि को मांग के साथ जोड़ा जाना था। रियासत में कृषि की स्थिति में सुधार तथा क्रमिक विकास के मद्देनजर भी राजस्व की मांग में वृद्धि संभाव्य है। पूर्व में उल्लेख किया गया है कि कृषको को समय समय पर कृषि भूमि के विस्तार एवं सुधार हेतु तथा बैल, बीज इत्यादि की खरीदी हेतु तकावी ऋण वितरित किये जाते रहे। रियासत द्वारा अधिक से अधिक भूमि को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया, इस हेतु पड़ती जमीन का भरपूर उपयोग किया गया। परिणामतः कृषि क्षेत्रों में निरंतर विस्तार होता रहा, जिससे न केवल कृषि तथा उत्पादन में ही वृद्धि हुई, अपितु भू-राजस्व की मांग भी बढ़ी। इसके अतिरिक्त रियासत में नये भूमि बंदोबस्त के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप भू-राजस्व की मांग तथा प्राप्ति में वृद्धि देखते बनती है।

सारंगढ़ रियासत के भू-राजस्व के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि रियासत में राजस्व विधि संबंधी कोई नियमित पद्धति नहीं थी और यहां के अधिकार तथा उनके दायत्वि उनके भूमि संबंधी हित तथा भूमि स्वामी और काश्तकारों के बीच संबंध केवल वाजिब उल अर्ज (ग्राम प्रशासन पत्र/रियासत के राजस्व नियम) द्वारा विहित किये गये थे। रियासत में काश्तकारों के अधिकार बहुत सीमित थे तथा उन्हें देय तारीख को लगान भुगतान न करने, जोत या उसके किसी भाग को भवन अन्य कृषियेत्तर प्रयोजन के लिये परिवर्तित करने वाजिब उल अर्ज की किसी भी शर्त को जानबूझकर भंग करने तथा अनिष्ठा के आधार पर वाजिब उल अर्ज के अधीन बेदखल किया जा सकता था।[54]

भूमि अंतरण तथा उप पटंटे पर देने के नियम गौण परिवर्तनों सहित पूर्ववत थे। सारंगढ़ रियासत के काश्तकार अपनी जोत को बेचकर, बंधक रखकर अन्यथा स्थानांतरित कर सकता था, किन्तु वह ऐसा तभी कर सकता था जबकि गौंटिया इस बात की इजाजत दे। गौंटिया किसी अंतरण के लिये स्वीकृति देता था तो उसके एवज में दस प्रतिशत राशि लेता था यह वाजिब उल अर्ज द्वारा विहित थी। रियासत के बाहरी व्यक्तियों को अन्तरण करने के लिये शासक की अनुमति आवश्यक होती थी।[55]

सारंगढ़ रियासत में शासक तथा प्रमुखों के रूढ़ियों तथा परंपराओं के अनुसार रैयतों से बेगार की अपेक्षा की जाती थी तथा अत्यधिक लगान लेने की पद्धति बहुत अधिक प्रचलित थी। वाजिब उल अर्ज के निबंधनों के अधीन भूमि विरासत में पाना तथा अन्तरण निर्बंधित था। काशतकारों को अपनी जोतो के वृक्षों के या इमारती लकडी के उपयोग का अधिकार नहीं था।[56]

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सारंगढ़ रियासत के ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पश्चात काफी लेने समय तक ब्रिटिश शासन में रियासत के राजस्व प्रशासन में अहस्तक्षेप की नीति अपनायी किन्तु सन् 1878 में रियासत के प्रत्यक्ष प्रबंध के अंतर्गत आने के पश्चात किये गये विभिन्न बंदोबस्तों से गौंटियाओं तथा काश्तकारों को संरक्षित हैसियत प्रदान किये गये जो कि सरसरी बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा थी, जिसका काफी महत्व था। कुल मिलाकर इन बंदोबस्तों के परिणामस्वरुप काश्तकार, गौंटियां तथा रियासत तीनों लाभान्वित हुए।

6.2 आबकारी राजस्व व्यवस्था :

ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने के पूर्व सारंगढ़ रियासत में आबकारी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित होने के पश्चात् भी काफी लंबे समय तक रियासत की आबकारी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि से पता चलता है कि सन 1867 में रियासत को आबकारी में कुल 102 - ? की प्राप्ति हुई थी।[57]

रियासती सीमांतर्गत गांवों में स्थित कलारों द्वारा स्थापित शराब की आसवानियों पर प्रति भट्ठी एक रुपये की दर से उपकर रियासत को प्राप्त होता था। इसी तरह रियासत में अफीम, गांजा और भांग की पूर्ति ब्रिटिश कोषालयों से होती थी किन्तु धीरे धीरे ब्रिटिश शासन का ध्यान भू राजस्व की तरह रियासत के आबकारी प्रशासन की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि रियासती क्षेत्र में शराब बनाने पर कोई नियंत्रण नहीं था , अतः इसकी तस्करी समीपवर्ती ब्रिटिश क्षेत्रों में होती थी . अतः सन् 1867 की सनद की धारा 9 के अंतर्गत रियासत के शासक को आबकारी प्रशासन को इस ढंग से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया कि समीपवर्ती ब्रिटिश क्षेत्रों के लिये वह आपत्तिजनक न हो और यदि यह व्यवस्था आपत्तिजनक होगी तो इसकी संतोषजनक व्यवस्था किये जाने तक चीफ कमिश्नर को निर्धारित कर में 1000 रु. वार्षिक वृद्धि किये जाने का अधिकार होगा।[58] इस संदर्भ में पुनः शासक को निर्देशित किया गया जिसका उल्लेख इस प्रकार है - " मंद का इजारा को अपने इलाके यों बेचेंगे अगर खालसे मों बेचेंगे तो तुमसे हजार रुपैया मालगुजारी लिया जायेगा तुम्हारा मुल्क के बन्दोबस्त होते तक हजार रुपैया लिया जावेगा फकत लिखी तारीख माह सन् ईस्वी के तारीख 23 माह फरवरी सन् 1868 ईस्वी।"[59]

समय के प्रवाह के साथ ही ब्रिटिश क्षेत्रों में प्रचलित आबकारी संबंधी व्यवस्था रियासत में लागू की जाने लगी। पूर्व में महुएं की शराब बनाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, किन्तु इसके लिये अब रियासत की ओर से आसवन केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रों पर निर्मित शराब को ही लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाती थी। रियासत के शासक पूर्व में अफीम और गांजा ब्रिटिश क्षेत्रों के थोक विक्रेताओं से निर्धारित मूल्यों पर क्रय करते थे तथा उन्हें रियासत के लायसेंसधारी विक्रेताओं को वितरित करते थे। कालांतर में रियासत को इन वस्तुओं की पूर्ति ब्रिटिश कोषालयों के द्वारा की जाने लगी।[60] इन वस्तुओं की मूल्यों का निर्धारण तथा रियासत को प्रदान की जाने वाली मात्रा का निर्धारण ब्रिटिश शासन के द्वारा की जाती थी।[61] रियासत के विक्रेताओं के लिये यह आवश्यक था कि इन वस्तुओं के मूल्य को ब्रिटिश क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के बराबर रखेंगे।[62]

इस प्रकार यह विदित होता है कि मादक पदार्थों पर रियासत का नियंत्रण स्थापित हुआ जिससे रियासत की राजस्व में वृद्धि हुई।

सारंगढ रियासत को आबकारी से प्राप्त राजस्व का विवरण उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित किया गया है -

सारंगढ़ रियासत : आबकारी राजस्व

सन	दुकानों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रु.में)
1891	-	5,790
1892	-	6,230
1893	-	7,450
1894	-	10.163
1895	-	11.401
1896	-	9.290
1897	-	5,712
1899	-	8,781
1900	-	5,641

1901	-	6,072
1902	-	5,326
1903	-	5,823
1904	-	8,926
1905	97	10,029
1906	83	15,550
1907	83	18,176
1908	-	24,159
1909	-	18,240
1910	31	17,837
1911	46	17,458
1912	46	16,572
1913	46	15,458
1914	46	16,806
1915	36	17,050
1916	42	20,669
1917	42	19,515
1918	44	22,953
1919	57	25,631
1920	-	39,443
1921	-	37,865
1922	66	41,081
1924	66	39,331
1925	63	40,085
1927	63	44,395
1928	-	43,494
1930	-	38,712
1934	36	22,542
1935	-	-
1940	-	37,067
1942	49	41,972
1944-45	-	75,330
1945-46	76	84,596

सदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह अभिज्ञान होता है कि यद्यपि सारंगढ़ रियासत में मादक पदार्थों की दुकानों की संख्या में घट बढ़ होती रही है, तथापि आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व में कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः वृद्धि देखते बनती है। इस वृद्धि का कारण यह था कि विक्रेताओं को प्रदत्त लायसेंस की दरों में लगातार वृद्धि की जाती रही। जिन वर्षों में आबकारी से प्राप्त राजस्व में कमी आयी थी उसका कारण ब्रिटिश शासित पड़ोसी संबलपुर जिले से होने वाली बालूचर की तस्करी के कारण गांजे के विक्रय में कमी आयी तथा परिसरवर्ती उदयपुर रियासत से शराब की तस्करी के कारण रियासत की शराब दुकानों की बिक्री में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा कमी आयी थी।[63]

सारंगढ़ रियासत के आबकारी प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। सर्वप्रथम, सन् 1890-91 में सारंगढ़ रियासत में आबकारी के क्षेत्र में सुधार लाने की दृष्टि से प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य शराब खोरी तथा मादक धुम्रपानों पर अंकुश लगाना था, अतः उस वर्ष सभी मादक खाने बंद रखे गये।[64] द्वितीय, रियासत में परिसवर्ती क्षेत्रों संबलपुर जिले तथा उदयपुर रियासत से क्रमशः बालूचर तथा शराब तस्करी की जाती थी[65], तृतीय, आबकारी पदार्थों का बिना लायसेंस व्यापार करने वालों तथा चोरी छिपे अवैध शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाती थी तथा इनका पता लगाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता था।[66]

सन् 1897 के वर्ष में कृषि उत्पादन में आई कमी के चलते रियासत में देशी शराब की खपत में काफी कमी आयी।[67]

सन् 1902 के आसपास गांजे के मूल्य में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरुप पड़ोसी क्षेत्रों विशेषकर संबलपुर जिले से बालचूर की तस्करी की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, यह स्थिति 1917-18 तक बनी रही।[68]

सारंगढ़ रियासत का आबकारी प्रशासन काफी कठोर था, सन् 1934 में अफीम के अवैध कारोबार करने वालों को एक्साइज एक्ट के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई तथा आने वाले वर्षों में 10-15 अपराध प्रतिवर्ष दर्ज किये जाते रहे तथा इस हेतु संलग्न व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाहियां की गई।[69]

सन् 1945-46 में अच्छी कृषि उत्पादन के चलते सारंगढ़ रियासत में गांजा, भांग तथा अफीम आदि मादक पदार्थों की खपत में काफी वृद्धि हुई। इस वर्ष गांजा, भांग तथा अफीम की कीमत क्रमशः 80रु., 30रु., तथा 140 रुपये प्रति सेर था। सन् 1945-46 में सारंगढ़ रियासत आबकारी विभाग में एक निरीक्षक, तीन सहायक उपनिरीक्षक तथा एक आरक्षक पदस्थ थे।[70]

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सारंगढ़ रियासत का आबकारी प्रशासन काफी चुस्त-दुरुस्त था। ब्रिटिश नियंत्रण पश्चात् आबकारी व्यवस्था के पुर्नगठन के साथ ही जहां एक ओर अवैध रुप से मादक द्रव्यों की बिक्री तथा तस्करी पर रोक लगी, वही दूसरी ओर रियासत के राजस्व में वृद्धि हुई।

6.3 वन राजस्व व्यवस्था :-

सारंगढ़ रियासती क्षेत्र प्रारंभ से ही वनाच्छादित रहा हैं, यहाँ के आदिवासियों के आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वनोपज में साल, सागौन, बांस, लाख, महुआ, खैर, हर्रा, बहेरा

और आंवला तथा जानवरों के चमड़े और सींग प्रमुख थे। रियासत के कुल 202 वर्गमील क्षेत्र में उन्नत साल के वृक्ष हैं, जो मुख्यत: सारंगढ़ और सरिया परगने के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ी श्रेणियों तथा कुझर जमींदारी की सीमा पर स्थित है। [71]

वन राजस्व के संदर्भ में यह ज्ञात होता हैं, कि ब्रिटिश नियंत्रण में आने के पूर्व सारंगढ़ रियासत के शासक लगभग इस क्षेत्र में उदासीन थे। प्रारंभ में वनों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण के साथ ही वन राजस्व वसूली आरंभ हुई जिससे रियासत के आय के स्रोतों में वृद्धि हुई। सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि से पता चलता हैं -" सिवाना वो जंगल वो जीनीस लिखने के परवाना आये समलपुर से साहेब मेरे से तारीख 7 माह अगस्त सन् 1865 ईस्वी सावन सुदी 15 पुनी के समत् 1922 के साल मों।" [72] अर्थात् सन् 1865 में ब्रिटिश सरकार की ओर से जंगल तथा वनों के संबंध में अभिलेख लिखने का आदेश जारी किया गया। वन राजस्व की राशि तय करने के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी सन् 1866 में प्राप्त होती हैं -" जंगल के काठ के मालगुजारी बांधे गये घर वो बांस वो कठवा के गाड़ा भैंसा मों चारी आना मो बैलगाड़ा मों चारी आना कांवर वो बोझा मों एक आना पूस बदी 1 के समत् 1923 के साल।" [73] इस प्रकार पता चलता है कि सारंगढ़ रियासत की ओर से सन् 1866 में एक गाड़ी लकड़ी तथा बांस पर 4 आना तथा एक बोझा लकड़ी पर एक आना की दर से राजस्व तय किया गया। इसकी वसूली की गई या नहीं इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन वास्तविक तौर पर सारंगढ़ रियासत में सन् 1885 में ब्रिटिश प्रबंधकाधीन किये गये प्रथम राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत ही वनों को राजकीय संरक्षण में लिया गया, [74] तत्पश्चात् ही यहां की वन संपदा को नियंत्रित करने तथा वनों से प्राप्त राजस्व में अभिवृद्धि करने का प्रयास प्रारंभ हुआ तथा रियासत के वनों को सरकारी नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया का सही अर्थो में श्री गणेश हुआ। ब्रिटिश भारत के प्रादर्श पर रियासत में वन विभाग स्थापित किये गये, जिनमें प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।

सन् 1890-91 के वर्ष में तत्कालीन मध्यप्रांत के चीफ कमिश्नर ने संबलपुर के वन अधिकारी को सारंगढ़ रियासत के वनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया तथा इस हेतु होबड़े की सेवायें अस्थाई तौर पर पोलिटिकल एजेण्ट रायपुर को सौंपी गई। [75] सन् 1892 में पोलिटिकल एजेण्ट ने यह स्पष्ट किया कि सारंगढ़ के वनों में उचित पद्धति के अंतर्गत वन संरक्षण हेतु व्यावसायिक निरीक्षण नितांत आवश्यक है। [76]

इस प्रकार सारंगढ़ रियासत के वनों की सुरक्षा, रख-रखाव तथा प्रबंधन का कार्य सुचारु रुप से किया जाने लगा। वन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें वनों के संरक्षण के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया गया। सन् 1890 में वन संरक्षण हेतु उचित प्रबंध किये गये . सन् 1891 में रियासत के निवासियों की आवश्यकता तथा सुविधानुसार आवश्यक परिवर्तन किये गये। वनों में लगने वाली आग से ग्राम नष्ट हो जाया करते थे, अत: जो लोग खपरों का या पक्का मकान बनाने तैयार हो गये उन पर लगाये गये वन शुल्क में पर्याप्त कमी कर दी गई। [77]

सन् 1911 में रियासत के वनविभाग में एक नायब दरोगा की नियुक्ति की गई। इस वर्ष लगभग 80 छोटे वन अपराध हुये जिनमें कुल 151 व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया गया। [78] सन् 1922 में इमारती लकड़ी के लिये वृक्षारोपण किया गया, कोसा तथा लाख का उत्पादन रियासत में जारी था। [79] सन् 1924 में कुसुम वृक्षों पर लाख की खेती प्रायोगिक तौर पर आरंभ की गई, जिसमें सफलता नहीं मिली, तत्पश्चात् यह प्रयोग सन् 1927 में पलाश के वृक्षों पर किया गया। इस अवधि में औसतन 300 अपराध प्रतिवर्ष हुये जिनसे भारी मात्रा में जुर्माना वसूल किया

गया।[80]

सारंगढ़ रियासत की मुख्य वनोपज तेंदूपत्ता, बांस, और विभिन्न श्रेणियों की इमारती लकड़ियाँ थी। रियासत की खदानें भी जिनमें केवल स्लेट पत्थर मिलता था वन विभाग की देखरेख में रखी गई थी। सन् 1937 में वन नियमों को अपेक्षाकृत उदार बनाया गया। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को मारने के लिये लोगों ने सहमति प्रदान की इस हेतु रियासत के अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं रहा। दिनांक 20 सितंबर 1937 को राजा जवाहिर सिंह ने एक आदेश जारी कर सामान्य चारागाह शुल्क समाप्त कर दिया, किन्तु 4 पशुओं और एक जोत के अतिरिक्त पशु चराने हेतु ले जाने वालों पर प्रति पशु की दर से आवश्यक शुल्क निर्धारित किया गया।[81]

सन् 1940 में सारंगढ़ रियासत अंतर्गत 193 वर्ग मील क्षेत्र में वन फैला हुआ था जो कि दो वन परिक्षेत्र क्रमशः सरिया तथा सारंगढ़ में विभाजित था। प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक प्रभारी नियुक्त होता था जो रेंजर होता था, जिसे फारेस्ट दरोगा कहा जाता था। सारंगढ़ और सरिया परिक्षेत्र क्रमशः 12 और 10 खण्डो में विभाजित थे जिनमें 1-1 फारेस्ट गार्ड पदस्थ किये गये थे। ये सभी कर्मचारी परिक्षेत्र प्रभारी फारेस्ट दरोगा के नियंत्रण में कार्य करते थे, इनका जिला मुख्यालय सारंगढ़ होता था। वन विभाग के प्रभारी मंत्री युवराज नरेश चन्द्र सिंह के निर्देशानुसार विभागीय अमला कार्य करता था।[82]

वास्तव में सारंगढ़ रियासत में व्यवस्थित वनप्रबंध सन् 1943 में किया गया। इसके पूर्व रियासत लायसेंस पर चराई शुल्क, संराशि दान शुल्क (कम्युटेशन) तथा इमारती लकड़ी, बांसों, एवं गौण वनोपजों के विक्रय से लगभग 22,000 रु. सालाना संग्रहित करती थी। ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी के वन सलाहकार ने सन् 1943 रियासत का दौरा किया तथा सुझाव दिया कि रियासत में कुल क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाया जाये, फलस्वरुप फरवरी 1946 में 15 वनखंडों को रक्षित वनों के रुप में सीमांकित, सर्वेक्षत और अधिसूचित किया गया।लायसेंस पर इमारती लकड़ियों की अनियमित कटाई बंद कर दी गई तथा कूप पद्धति लागू की गई। सध्वज गुल्म पद्धति वन संवर्धन हेतु अपनायी गयी। प्रति एकड़ लगभग 6-10 सध्वज वृक्ष बनाये रखे गये।[83]

संक्षेप में यहकहा जा सकता है कि आलोच्य अवधि के दौरान सारंगढ़ रियासत में वन संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, यद्यपि सारंगढ़ रियासत इस क्षेत्र में शनैःशनैः अग्रसर हुआ, किन्तु इस दिशा में हुई प्रगति पर्याप्त कही जा सकती है। रियासत की ओर से वन प्रबंधन, एवं संरक्षण के अतिरिक्त वानिकी की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया।

सारंगढ़ रियासत को सन् 1892 से 1945-46 की काल अवधि में प्राप्त वन राजस्व तथा वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये रियासत की ओर से किये व्यय को संलग्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :-

सारंगढ़ रियासत : वन राजस्व

सन	वनराजस्व की प्राप्ति (रुपये में)	वन प्रबंधन पर व्यय (रुपये में)
1892	4,312	-
1893	6,686	1,109
1894	8,188	1,08-

1895	8,541	-
1899	8,760	-
1900	6,039	-
1901	7,582	-
1902	6,957	-
1903	7,155	-
1904	7,812	2,162
1905	8,626	2,122
1906	10,817	2,195
1907	12,410	2,164
1908	15,663	-
1909	16,713	-
1910	17,113	-
1911	18,428	-
1912	18,899	-
1913	20,292	-
1914	24,126	-
1915	20,166	-
1916	20,081	2,743
1917	20,897	-
1918	20,897	2,748
1919	25,000	3,745
1920	30,155	4,428
1921	30,873	5,240
1922	33,273	5,674
1924	22,856	5,726
1925	25,972	4,970
1927	28,250	4,845
1928	31,839	8,526
1930	29,041	3,763
1934	23,771	3,670
1940	32,628	4,237
1942-43	35,392	5,603
1945-46	67,145	12,229

संदर्भ : एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से परिलक्षित होता है कि सारंगढ़ रियासत में सन् 1892 से 1945-46 के आलोच्य काल अवधि में वन राजस्व की प्राप्ति में औसतन लगातार वृद्धि होती रही है। आय के सदृश ही वन प्रबंधन एवं संरक्षण की ओर किये जाने वाले व्यय में भी वृद्धि होती गई। संभवतः वन प्रबंधन के लिये व्यय राशि में वृद्धि का कारण समय-समय पर अपनायी जाने वाली नई तकनीक तथा प्रक्रिया रही, जिनके तहत वनो के संरक्षण के लिये आधुनिक पद्धति को अपनाया गया। इस प्रकार ब्रिटिश नियंत्रण काल में सारंगढ़ रियासत को राजस्व प्राप्ति के साधन के रुप में वन राजस्व की सौगात मिली हालांकि इस हेतु रियासती प्रशासन को प्रबंधन के चलते कुछ राशि व्यय भी करनी पडती थी।

निःसंदेह सारंगढ़ रियासत में राजस्व प्रशासन की त्रिवेणी भू राजस्व आबकारी राजस्व तथा वन राजस्व में ब्रिटिश नियंत्रण में आने के उपरांत हुये परिवर्तनों के चलते रियासत की राजस्व जमा के अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में पहली बार भू राजस्व भी वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि का सर्वेक्षण, उत्पादन तथा भू राजस्व निर्धारण के लिये ब्रिटिश क्षेत्रों में प्रचलित मापदंडों को अपनाया गया। गौंटिया तथा कृषकों के हितों की पर्याप्त रुपेण सुरक्षा की गई। आबकारी राजस्व तथा वन राजस्व मूलतः ब्रिटिश शासन की देन कही जा सकती है, जिसकी उपादेयता राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि से स्वतः सिद्ध हो जाती है। किन्तु जिस प्रकार से रियासत में आसवानी तथा लायसेंस प्रणाली प्रारंभ किये जाने तथा रियासत की आय में वृद्धि के लिये ठेकेदारी प्रथा का सूत्रपात किया गया, इससे यही प्रतीत होता है, कि रियासत के शासक केवल अपनी आय की वृद्धि के प्रयास में लगे रहे। सामान्य जनता में नशाबंदी कम करने के लिये किये गये प्रयास ऊंट के मुंहमें जीरा के समान कहे जा सकते हैं। वन संरक्षण के लिये किये गये उपबंधों से यद्यपि वनों का अस्तित्व बना रहा, तथापि कठोर वन कानूनोंके क्रियान्वयन के चलते रियासत के निवासियों को अपने परंपरागत अधिकारों से हाथ धोना पड़ा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश प्रणालियों के अंगीकार के साथ ही सारंगढ़ रियासत की संपन्नता में अभिवृद्धि हुई, इस क्षेत्र में शासकों के द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय कहे जा सकते हैं।

पाद टिप्पणी

1. अष्टाधायी , 4-4-97 पाणिनी निर्णय सागर प्रेस, बंबई, 1929
2. राव, ए. एन. - प्राचीन राजस्व प्रशासन 2000, पृ. 79
3. अर्थशास्त्र , 2-5 (सं) आर. सामशास्त्री मैसूर, 1909
4. रायपुर जिला गजेटियर, 1909, पृ. 53
5. मिश्र, रमेन्द्र नाथ -ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास 1981, पृ. 72
6. रायगढ़ जिला गजेटियर 1979, पृ. 221
7. डीब्रे, ई. ए.- सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज गजेटियर छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट् स 1909, पृ. 217
8. उपरोक्त पृ. 217
9. रायगढ़ जिला गजेटियर 1979, पृ. 223
10. श्रीवास्तव. धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज, 1925, पृ. 198
11. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ. 30
12. उपरोक्त. पृ- 30
13. रायगढ़ जिला गजेटियर 1979, पृ. 223
14. डीब्रे, इ.ए. पूर्वोक्त पृ. 218
15. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ. 30
16. श्रीवास्तव, धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज 1925, पृ. 198
17. चरित्र किताब- सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि - पृ. 362 एवं डीब्रे ई.ए. पूर्वोक्त पृ. 218
18. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ. 30-31
19. चरित्र किताब- सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 45
20. डीब्रे. ई.ए. पूर्वोक्त पृ. 12-16, एवं सी.यू. एचिसन -ए कलेक्शन ऑफ ट्रिट्रीज इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदस खण्ड 2, पृ. 548
21. डीब्रे, ई.ए. पूर्वोक्त पृ. 187- 223
22. चरित्र किताब - सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 250
23. चरित्र किताब- पूर्वोक्त पृ. 238
24. चरित्र किताब- पूर्वोक्त पृ. 238-239
25. श्रीवास्तव, धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज , 1925, पृ. 198-199
26. फॉरेन डिपार्टमेन्ट (जनरल पार्ट बी) प्रोसीडिंग्स फरवरी 1897 क्र. 148
27. श्रीवास्तव. धानूलाल पूर्वोक्त पृ. 199
28. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूटेडरी स्टेट्स (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ. 31
29. डीब्रे. ई.ए. पूर्वोक्त पृ. 219

30. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेट्लमेण्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स (प्राधिकार से प्रकाशित)'पृ. 32
31. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1890-91, पृ. 12 एवं सन 1891, पृ. 22
32. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ., 33
33. श्रीवास्तव धानूलाल अष्टराज्य अम्भोज 1925, पृ. 199
34. फॉरेन डिपार्टमेन्ट (जनरल पार्ट बी) प्रोसीडिंग्स फरवरी 1897 क्रं. 148.
35. रायगढ़ जिला गजेटियर 1979, पृ. 224
36. डीब्रे ई.ए. पूर्वोक्त पृ. 220
37. रायगढ जिला गजेटियर 1979, पृ. 225
38. नोट ऑन दी मेथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स (प्राधिकार से प्रकाशित) पृ. 33
39. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1905, पृ. 38
40. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1908, पृ. 32, 1909, पृ. 31 एवं 1913, पृ. 17
41. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1924, पृ. 10 एवं 1913, पृ. 17
42. श्रीवास्तव धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज 1925, पृ. 199-200
43. रायगढ़ जिला गजेटियर, 1979, पृ. 225
44. यादव. डोरीलाल - सारंगढ़ रियासत इतिहास के घेरे में लघु शोध प्रबंध गु.घा.वि.वि. 1983-84, पृ. 69- 70
45. रायगढ़ जिला गजेटियर 1979, पृ. 225
46. श्रीवास्तव, अतुल कुमार - रायगढ़ समूह की रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था शोध प्रबंध रविवि. पृ. 224
47. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1938. पृ. 20
48. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1938-40 पृ. 18
49. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1942, पृ. 6-14
50. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945-46, पृ. 5-7
51. चरित्र किताब- सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 215-16
52. चरित्र किताब- पूर्वोक्त पृ. 299
53. श्रीवास्तव, धानूलाल - अष्टराज्य अम्भोज 1925, पृ. 199
54. वाजिब-उल-अर्ज ऑफ दी सारंगढ़ स्टेट, 1938, पृ. 3-5, कंडिका 16-24
55. पूर्वोक्त पृ. 4, कंडिका 18
56. पूर्वोक्त पृ. 12 कंडिका 57- 58
57. चरित्र किताब- सारंगढ़ रियासत की पाण्डुलिपि पृ. 299